न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

निजी वन प्रा0पत्र संख्या : 94 / 2009

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

कमलेश कुमार पुत्र बंशीधर शर्मा, जाति–ब्राहाण, निवासी ए–76,रामनगर, जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना–पत्र विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी, जयपुर आवंटन दिनांक 15.03.1989 जिसके द्वारा ग्राम कालवाड की आराजी खसरा नंबर 1031 में से 5 बीघा निजी वन विकास हेतु आंवटित की गई है।)

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 31.07.2019

उप खण्ड अधिकारी, जयपुर ने आवंटन आज्ञा दिनांक 15.03.1989 द्वारा ग्राम कालवाड की आराजी खसरा नं. 1031 में से 5 बीघा निजी वन विकास हेतु अप्रार्थी को आवंटित की है, जिसे जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 24.12.1991 द्वारा निरस्त किये जाने पर अप्रार्थी कमलेश कुमार ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष चुनौती दी है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपील में दिनांक 07.06.1995 को आंशिक रूप सें स्वीकार कर जिला कलक्टर, जयपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिए कि अपीलार्थी को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

श्रवण क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को आवंटित होने से पत्रावली हस्तान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट् बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे अतः इनक विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि आराजी खसरा नं0 1031 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम कालवाड निजी वन विकास हेतु उप खण्ड अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 15.03.1989 को पट्टे के आधार पर 25 वर्ष के लिए निजी वन विकास हेतु आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्त संख्या 13(3) के अनुसार प्रथम वर्ष में एक–तिहाई पर, दूसरे वर्ष में दूसरे एक-तिहाई पर और तीसरे वर्ष में बाकी बचे क्षेत्र पर आवंटी वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किस्म के वृक्ष, झाडियां और घास उगायेगा परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है और पट्टे की अवधि 25 वर्ष भी

Scanned by CamScanner

व्यतीत हो चुकी है पट्टे की अवधि को बढाया नहीं गया है अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनांक 24.12.1991 के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नं0 1031 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम कालवाड निजी वन विकास हेतु अप्रार्थी कमलेश कुमार शर्मा को दिनांक 15.03.1989 को आवंटित की गई है, जिसे वृक्षारोपण नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया गया है। वरवक्त बहस विद्वान पेरोकार सरकार ने अपने कथन में जाहिर किया है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों में वृक्ष, झाडियां और घास नहीं उगाया गया है और पत्रावली में ऐसे भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह जाहिर करते हों की आवंटन पट्टा अवधि 25 वर्ष को आगे बढाया गया हो। पट्टा अवधि आगे बढाये जाने का पत्रावली पर साक्ष्य नहीं होने से भी अब आवंटन दिनांक 15.03.1989 का अस्तित्व नहीं रह जाता है अतः उक्त विवेचनानुसार आवंटन की शर्तो की पालना में वृक्ष, झाडियां और घास नहीं उगाने और 25 वर्ष की पट्टा आवंटन अवधि समाप्त हो जाने से आवंटन दिनांक 15.03.1989 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner